न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 190/2011/75 एलआर एक्ट

गुलाम फरीद पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी लखुवाली चक 12 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. अब्दुल हक पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. अब्दुल जवार पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुभान मोहम्मद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. कुरसैद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. गुलाम फरीद पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. यासीन पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. अब्दुल गली पुत्र दीवान जाति मुसलमान निवासी चक 12 आरपी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.08.11 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 68/2007 अनवानी अब्दुल हक बनाम गुलाम फरीद आदि

श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांक –26.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि चक 12 आरपी मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6, 7 के स्व. पिता दीवान के नाम रकबा है। दीवान का दौराने मुकदमा दिनांक 01.06.06 को देहान्त हो चुका है। दीवान ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मे अन्तर्गत शर्त 8(2) के तहत अप्रार्थीगण के चक 11 आरपी प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 23 जो रेस्पो0 की है मे से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त रकबा प्रार्थी के खेत से चिपता है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत आते जाते है तथा रास्ता मौका पर चालू है। इसी प्रकार अप्रार्थी अब्दुल हक आदि ने भी एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया के रकबा व प.न.

149/365 कि.न. 24, 25 मे से रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। जिसमे कि.न. 24 गुलाम फरीद व कि.न. 25 मोहम्मद अली का है। इसप्रकार दोनो प्रार्थना पत्रों मे प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 25 मे से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। परन्तु एक दूसरे को रास्ता देना नही चाहते है। ऐसे मे विचारण न्यायालय ने दोनो प्रार्थना पत्र मु.न. 36/05 व 52/05 दिनांक 09.08.05 को खारिज कर दिये। जिससे स्पष्ट है दोनो पक्षो ने अदालतवाला के अपील पेश की जो अपील सं. 195ए/06 व 202ए/06 दिनांक 26.02.07 को रिकार्ड की गयी। जिस पर दोनो पक्षो को पुनः सुन मौका देख दिनांक 11.08.11 को दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। प्रार्थी को रेस्पो0 ने एक पंचायत कर कहा कि अब मुकदमाबाजी का अन्त कर देना चाहिए व दोनो ही रिकार्ड मे अमल दरामद करवाने की कार्यवाही करें। प्रार्थी ने रेस्पो0 की बात पर यकीन किया व आगे कोई कार्यवाही नही की। रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। अब प्रार्थी को दिनांक 15.12.11 को ज्ञान हुआ कि अब्दुल हक आदि ने आदेश स्वीकृति रास्ता के विरूद्ध अपील पेश कर दी। इसलिए प्रार्थी ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पो0 द्वारा आश्वासन दिलाने कि मुकदमाबाजी का अन्त करे अपील पेश नही कर सका व सद्भावना मे रेस्पो0 पर विश्वास किया व अपील पेश करने मे देरी की इसलिए प्रार्थी की अपील पेश होने मे हुई देरी काबिले माफ किये जाने है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.11 जिस द्वारा प्रार्थी की आराजी मे चक 11 आरपी के प.न. 149/365 मु.न. 12 कि.न. 24 मे रास्ता दो गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया गया खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने रास्ता की ऐवज मे जमीन पर मुआवजा बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश नही देने मे कानूनी भूल की है। उक्त रास्ता चक किस रास्ता से जुडा होगा इसका खुलासा आदेश मे नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5

मियाद अधिनियम स्वीकार कर देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट के पिता दीवान के रकबा प.न. 149/365 कि.न. 24, 25 मे से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट के पिता दीवान ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मे अन्तर्गत शर्त 8(2) के तहत रेस्पो0 की भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 23 जो रेस्पो0 की है मे से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार दोनो प्रार्थना पत्रों मे प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 25 मे से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। परन्तु एक दूसरे को रास्ता देना नही चाहते है। ऐसे मे विचारण न्यायालय ने दोनो प्रार्थना पत्र मु.न. 36/05 व 52/05 दिनांक 09.08.05 को खारिज कर दिये। जिसके विरूद्ध दोनो पक्षकारो द्वारा अदालतवाला के समक्ष अपील पेश की जो अपील सं. 195ए/06 व 202ए/06 दिनांक 26.02.07 को रिकार्ड की गयी। जिस पर दोनो अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये गये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को पुनः सुन एवं मौका देख दिनांक 11.08.11 को दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकरान के खेत मे से रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौका देखकर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो. ने

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट के पिता दीवान के रकबा प.न. 149/365 कि.न. 24, 25 मे से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट के पिता दीवान ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मे अन्तर्गत शर्त 8(2) के तहत रेस्पो0 की भूमि चक 11 आरपी प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 23 जो रेस्पो0 की है मे से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार दोनो प्रार्थना पत्रों मे प.न. 149/365 कि.न. 21 ता 25 मे से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। परन्तु एक दूसरे को रास्ता देना नही चाहते है। ऐसे मे विचारण न्यायालय ने दोनो प्रार्थना पत्र मु.न. 36/05 व 52/05 दिनांक 09.08.05 को खारिज कर दिये। जिसके विरूद्ध दोनो पक्षकारो द्वारा अदालतवाला के समक्ष अपील पेश की जो अपील सं. 195ए/06 व 202ए/06 दिनांक 26.02.07 को रिकार्ड की गयी। जिस पर दोनो अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये गये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को पुनः सुन एवं मौका देख कर रेस्पो. की खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवेचन करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य व प्रक्रियात्मक त्रुटि हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2011 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़